रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936
No. 288] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015 /MAGHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. **375 (अ)**. - स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (viiक) और (xxiiiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 1055 (अ) के अंतर्गत दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्रम सं. 238ड. और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां, अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-मालिकाना नाम)	अन्य गैर मालिकाना नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/ किग्रा में)
1	2	3	4	5	6
"238 च.	मिफिड्रोन	4- मिथाइल मेथकैथीनान (4-एमएमसी) 4-मिथाइल फिड्रोन	(आरएस)-2-मिथाइल लैमिनो-1- (4-मिथाइल फिनाइल) प्रोपैन-1- वन	2	50 ग्राम".

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (3)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. संख्या 1055 (अ), के अंतर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 18 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 2941 (अ) और 21 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1430 (अ) के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

S. O. 375 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 238E and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

Sl No.	**Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name)**	**Other non-proprietary name**	**Chemical Name**	**Small Quantity (in gm.)**	**Commercial Quantity (in gm./kg.)**
1	2	3	4	5	6
"238F.	Mephedrone	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one	2	50 gm.".

[F. No. N-11011/2/2014-NC-II (3)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended by notification number S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009 and S.O. 1430 (E) dated 21st June, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.